

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखराम मिश्र (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या - 74/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/145

वायर दिनांक 08.04.2025

निर्णय दिनांक :- 08.06.2025

1. ओमपालसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. छतरसालसिंह पुत्र बैरुसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. नाशरणसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
4. बागसिंह पुत्र बैरुसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

-वादीगण

बनाम

1. सुगनकंवर पुत्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपरिथत :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

:-: निर्णय :-:

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 35 रकबा 16.8673 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई उपरिथत नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 35 रकबा 16.8673 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 35 रकबा 16.8673 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	ओमपालसिंह पुत्र किशोरसिंह 2/9 हिस्सा, छतरसालसिंह पुत्र भैरूसिंह 2/9 हिस्सा, नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/3 हिस्सा, बागसिंह पुत्र भैरूसिंह 2/9 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	35	12.6505 हैक्टेयर	बी-4
2	सुगनकंवर पुत्री मोतीसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	35	4.2168	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



06/06/25
 सहायक कलेक्टर (फलोदी) (आर.एस.)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. ओमपालसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. छतरसालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
4. बागसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

-वादीगण

बनाम

1. सुगनकंवर पुत्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 74/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 35 रकबा 16.8673 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्नानुसार बंटवाडा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	ओमपालसिंह पुत्र किशोरसिंह 2/9 हिस्सा, छतरसालसिंह पुत्र भैरूसिंह 2/9 हिस्सा, नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/3 हिस्सा, बागसिंह पुत्र भैरूसिंह 2/9 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	35	12.6505 हैक्टेयर	बी-4
2	सुगनकंवर पुत्री मोतीसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	35	4.2168	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यादी तक के अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (आर.एस.)
बाप (फलोदी)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा बाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।